"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी, 2003—पौष 20, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3077/2582/2002/1/2.—श्री आर. डी. मीना, भा.प्र. से. (डब्ल्यू. बी.-1984), आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ डॉ. एन. सी. सक्सेना, आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (याचिका क्रमांक सिविल-196/2001 के संदर्भ में) के सहयोग के लिए आयुक्त का सहायक नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3092/साप्रवि/2002/स्था./2/1.—श्री पी. सी. दलेई, भा.प्र.से. (1984) आयुक्त, बस्तर संभाग, बस्तर को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ किया

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

जाता है. कृषि विभाग में वे सहकारिता का कार्य देखेंगे. श्री दलेई को उक्त कार्य के साथ-साथ पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

श्री दलेई के प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री अजयबारा प्रसाद आदिथाला, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, के प्रभार से तथा श्री सुब्रत साहू, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम, रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3101/साप्रवि/2002/स्था./2/1.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 2636/2255/2002/एक/2, दिनांक 23-10-2002 के द्वारा श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1988) सचिव, महामहिम राज्यपाल का कलेक्टर, जशपुर के पद पर नियुक्ति विषयक आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. श्री बी. एस. अनन्त, भा.प्र.से. (1993) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कलेक्टर, जशुपर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार, मुख्य सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-3-162/दो/गृह/2002.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, रायपुर में स्थापित क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का उन्नयन कर राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला छत्तीसगढ़, रायपुर स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है तथा छत्तीसगढ़ राज्य को बंटवारे में प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी एवं पूर्व में क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ के अधिकारी/कर्मचारी घोषित करता है.

Raipur, the 11th December 2002

No. F-3/162/2/Home/2002.—The State Government hereby sanction the Establishment of State Forensic Science Laboratory, Chhattisgarh, Raipur after upgrading, the existing Regional Forensic Science Laboratory, Raipur and declare officers/employees of the Regional Forensic Science Laboratory and officers/employees who joined after division of State as officers/employees of the State Forensic Science Laboratory, Chhattisgrh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-13/18/16890/गृह/दो/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा क्रमांक एफ-1-91-बी-1-दो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ नगर सेना (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1991 की अनुसूची-चार (1) के कालम (3) में दर्शित ज्येष्ठ स्टाफ आफिसर/संभागीय सेनानी/सेनानी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान से अतिरिक्त प्रधान सेनानी के पद पर पदोन्नति करने हेतु उल्लेखित 6 वर्ष की सेवा अनुभव में एक बार के लिये एक वर्ष की विशेष छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, उप-सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

विषय :—सामान्य भविष्य निधि से आहरण के संबंध में.

क्रमांक 417/ब-4/चार/2002.—राज्य में वित्तीय अनुशासन के उद्देश्य से 26 अप्रैल, 1999 को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी सामान्य भविष्य निधि अग्रिम तथा अंतिम आंशिक आहरण के लिए प्रचलित आदेश (प्रति संलग्न) के अनुसार निम्नानुसार

प्रयोजनों के लिये राशि आहरण की जा सकेगी :—

1. स्वयं तथा बच्चों के विवाह संबंधी व्यय हेतु.

2. स्वयं तथा परिवार पर होने वाले चिकित्सा व्यय हेतु.

3. यदि आवासीय भवन का निमार्ण कार्य प्रारंभ हो गया हो तो कार्य को पूरा करने हेतु.

इस आदेश में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है. सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी कृपया यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी और प्रयोजन के लिये राशि का आहरण नहीं किया जा रहा है तथा शासन के प्रचलित आदेश मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 25/2/2000/सी/चार, दिनांक 24 फरवरी, 2000 द्वारा मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम II के उपनियम (I) (ख) में किये गये संशोधन (प्रति संलग्न) के अनुसार सभी अभिदाताओं की उपलब्धियों की बारह प्रतिशत राशि उनके खाते में जमा की जा रही है. भविष्य निधि के बारे में आदेशों के पालन हेतु सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा सभी कोषालय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

फा. क्र. 8805/2881/21-ब (छ. ग.) 2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आलेखदास अधिवक्ता, मनेन्द्रगढ़ को एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सरगुजा सत्र खण्ड के मनेन्द्रगढ़ के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/735.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	देवरी प. ह. नं. 2	2.482	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	देवरी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना ,सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/736.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सिंघनसरा प. ह. नं. 10	3.737	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	महुआ डेरा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/737.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पासीद प. ह. नं. 13	1.170	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	पुटेकेला उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/738.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	ढोलनार प. ह. नं. 4	0.817	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	देवरमाल माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/739.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नंदौरखुर्द प. ह. नं. 12	1.894	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	नंदौरखुर्द माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/740.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नंदौरखुर्द प. ह. नं. 12	1.031	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	नंदौरखुर्द सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/741.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सिंघनसरा प. ह. नं. 10	1.371	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	सिंघनसरा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/742.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सिंघनसरा प. ह. नं. 10	1.309	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	दर्राभाठा माइनर निमार्ण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/743.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बोरदा प. ह. नं. 8	4.527	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	बोरदा उप-वितरक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना,सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक-क/भू-अर्जन/744.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	कुरदा प. ह. नं. 3	3.013	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	गिधौरी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

क्रमांक 510/अ.वि.अ./भू-अर्जन/3-अ/82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-महासमुंद, प. ह. नं. 142/89
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.039 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1949/6	0.039
योग	1	0.039

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-महासमुंद-भलेसर मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

महासमुंद, दिनांक 2 दिसम्बर 2002

क्रमांक 509/अ.वि.अ./भू-अर्जन/4-अ/82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुंद

(ख) तहसील-महासमुंद

(ग) नगर/ग्राम-जुनवानी कला, प. ह. नं. 118

(घ) लगभग क्षेत्रफल-49.684 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
570	0.24
607	1.33
589	3.34
596	0.60
572	0.26
842	0.06
590	0.73
597	1.88
586	0.10
591	0.17
600	0.04
598	0.25
587/1	0.08
588	0.02
592	0.05
599	0.05
605	0.03
587/2	0.31
593	2.20
619	1.21
622	0.05
627	0.02
629	0.01
671	0.20
601	1.83
604	0.10
616	0.37
621	0.17
624	0.46
628	0.01
806	0.64
811	0.77

(1)	(2)
691	0.10
817	0.04
821	0.18
822	0.21
603	0.30
606	0.14
801	0.01
630	0.29
804	0.40
617/1	1.38
620	0.89
834	0.04
836	0.84
840	0.49
844	4.96
690	0.83
805	2.85
617/2	0.62
626	0.22
773	0.42
807	1.46
849	1.52
618	1.07
625	0.16
839	0.36
843	0.65
800	0.02
803	0.59
808	1.364
848	1.15
623	0.04
672	0.06
692	0.50
802	0.14
812/1	0.13
813/1	0.87
812/2	0.30
813/2	0.10
835	0.29
814	0.07
816	1.08
838	0.75

(1)	(2)
815	0.36
845	0.25
841	0.41
818	1.10
846	0.37
819	0.35
847	1.06
820	0.32
योग 82	49.684

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-चंडी डोंगरी जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 12 जुलाई 2002

क्रमांक 4173/21/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-फरसेगढ़/मण्डेम,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.70 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
ग्राम फरसेगढ़	
142/2	0.10
130	0.09
126	0.21
127	0.24
352	0.21
128	0.05
355/466 क	0.24
148/2	0.06
150	0.02
151	0.24
255	0.03
251	0.12
253	0.31
270	0.03
245	0.43
247	0.07
217	0.02
218	0.31
221	0.16
223	0.27
224	0.13
ग्राम मण्डेम	
166	0.17
168	0.04
181	0.31
167	0.08
172	0.24
205	0.12
173	0.16
179	0.22
182	0.14
175	0.26
185	0.29
178	0.25
180	0.08
योग	5.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- फरसेगढ़/मण्डेम जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय मे किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक 25/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-भोपालपटनम्
(ग) नगर/ग्राम-सण्ड्रापल्ली, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.15 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
57/12	0.09
62	0.27
57/29	0.12
63/1, 64	0.21
70/4	0.33
77/3	0.10
74	0.27
77/4	0.36
77/7	0.31
77/8	0.26
78, 79	0.10
82/7, 90 89/2 क	0.37
82/10 ख	0.35
82/14	0.49
86/5, 92/4	0.52
योग	4.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय मे किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक 26/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-भोपालपटनम्
(ग) नगर/ग्राम-मद्देड़, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.232 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
404	0.081
36/1, 36/2	0.230
50	0.073
38	0.405
48/4	0.162
39/1	0.121
39/2	0.101
41/2	0.077
42/4	0.105
81	0.032
42/2	0.121
47/1	0.085
51/4, 51/5	0.218
51/13	0.251
69	0.121
74/1	0.040
403	0.081

(1)	(2)
82/1	0.057
375/3	0.124
385	0.049
78/2	0.016
80/1	0.041
82/2	0.016
82/3	0.016
92/1	0.024
280/1	0.008
93	0.057
266/1	0.032
266/2	0.032
266/3	0.028
268	0.057
281/1	0.045
281/2	0.016
373/1	0.016
387/2	0.032
391/2	0.129
394/1	0.121
401	0.012
योग	3.232

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक व/भू-अर्जन/27/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपटनम्
- (ग) नगर/ग्राम-अंगमपल्ली, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.582 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
80/18	0.218
80/3, 82/4	0.162
82/2 क	0.113
82/2 ख	0.089
योग	0.582

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकेगा.

दंतेवाड़ा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक व/भू-अर्जन/28/अं-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपटनम्
- (ग) नगर/ग्राम-उस्कालेड़, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.469 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
155/20	0.073
155/5	0.182
155/47	0.073
155/48	0.141
योग	0.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकेगा.

दंतेवाड़ा, दिनांक 10 दिसम्बर 2002

क्रमांक व/भू-अर्जन/30/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपटनम्
- (ग) नगर/ग्राम-संगमपल्ली, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.060 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/25	0.081
3/39	0.057
3/42	0.032
5/6	0.105
5/10	0.057
15/1	0.032
29	0.133
249	0.073
253	0.089
256	0.105
258	0.097
264/11	
264/6	0.045
264/22	0.154
योग	1.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 2 नवम्बर 2002

क्रमांक 6 अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-संबलपुर, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
244	0.07
246/1	0.09
246/2	0.09
246/3	0.09
708	0.12
708	0.01
804	0.01
804	0.06
804	0.06
804	0.01
811	0.14
816/1	0.01
816/2	0.01
996	0.18
1057	0.02
1077	0.44
1079	0.06
1085	0.10
1164	0.21
1164	0.14
1164	0.14
1164	0.09
1182	0.19
1183	0.06
1184	0.15
1184	0.30
1269	0.10
1269	0.14
1269	0.13
1269	0.32
1302	0.03
1304	0.17
1304	0.17
1304	0.05
1304	0.15
1304	0.35
1304	0.28
1304	0.06
1304	0.04
1335	0.11
योग 40	4.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-संमरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 नवम्बर 2002

क्रमांक 7 अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-पण्डोनगर, कमलपुर,गणेशपुर, प.ह.नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85, 1.14, 0.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
पण्डोनगर	
2	0.07
29	0.02
30	0.11
32	0.02
33	0.19
35	0.35
36	0.10
37	0.53
52	0.04
61	0.07
62	0.05
63	0.03
77	0.11
78	0.11
योग 14	1.85

	(1)	(2)
	कमलपुर	
	134	0.11
	135	0.03
	137	0.12
	138	0.09
	140/2	0.12
	142	0.13
	146	0.14
	147/1	0.01
	151/2	0.08
	159/1	0.15
	161	0.10
	164/1	0.06
योग	12	1.14
	गणेशपुर	
	901/1	0.15
	902	0.07
	946	0.20
	947	0.05
	1354	0.14
योग	5	0.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अजब नगर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 नवम्बर 2002

क्रमांक 27 अ-82/90-91—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरसी, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.380 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1685	0.113
2128	0.105
2109/3	0.113
2127/3	0.049
2109/2	0.008
2127/2	0.242
1961	0.234
1618/31	0.137
2755	0.146
2744	0.073
1532	0.177
2757	0.162
2151/4	0.049
2132	0.113
2276	0.178
2741	0.05
2742	0.101
1618/30	0.097
1624/1	0.405
2753	0.089
2751	0.113
1533/1	0.234
1523	0.024
1522	0.008
1527	0.331
1665	0.081
1666	0.024
1687/4	0.040
1650	0.081
2147	0.057
1524	0.129
2750	0.049

(1)	(2)
1668	0.077
1687/5	0.032
2148	0.032
2150/2	0.129
2151/2	0.049
2250	0.113
1965	0.303
2758	0.073
1687/18	0.137
1652	0.065
2746	0.016
2748	0.049
2130	0.145
1651	0.097
1521	0.089
1667	0.024
2754	0.194
1858	0.032
1859	0.024
1860	0.016
2721	0.121
2722	0.186
2723	0.024
2726	0.057
2727	0.065
1862	0.049
1872	0.028
2747	0.113
1966	0.012
1531	0.012
2740/1	0.170
योग 63	6.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 नवम्बर 2002

रा. प्र. क्र. 38/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अंबिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-जगदीशपुर,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.594 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
124/1	0.036
120	0.008
138	0.012
140	0.081
124/2	0.028
135	0.020
127	0.008
880/2	0.012
125	0.004
134	0.032
139/1	0.020
890/3	0.065
126	0.053
136	0.053
139/2	0.012
239/892/2	0.150
योग	0.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांकी परियोजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक 8 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ओड़गी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.69 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	285	0.26
	291	0.03
	294	1.60
	295	0.03
	303	0.09
	305	0.06
	306	0.06
	309	0.06
	310	0.17
	311	0.14
	363	0.02
	364	1.88
	367	0.06
	368	0.06
	369	0.16
	371	0.01
योग	16	4.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ओड़गी जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक 9 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गिरजापुर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	388/2	0.24
	409	0.01
	410	0.08
	411	0.22
योग	4	0.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गिरजापुर जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक 10/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-कालामाजन, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
704	0.04
724	0.40
730/742	0.45
योग 3	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ओड़गी जलाशय के डुबान क्षेत्र बांध व वेस्टवियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक 24/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अंबिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-बड़ा दमाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.161 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/81	0.971
4/119	0.081
4/20	0.251
157/5	0.971
520/2	0.494
522	0.405
4/46	0.607
132	0.607
4/39	0.046
4/117	0.324
161/107	0.101
176/7	0.709
524	0.141
157/29	0.178
140/34	0.061
157/55	0.283
4/47	0.038
4/115	0.524
161/65	0.129
173/6	0.721
513	0.129
157/39	0.121
161/4	0.405
157/56	0.235
4/49	0.607
4/7	0.534
4/26	0.323
136/71	0.121
519	0.324
4/107	0.364
161/6	0.101
4/48	0.707

(1)	(2)
4/144	0.405
161/3	3.246
520/1	1.327
521	0.202
4/110	0.243
523/1	1.125
योग	18.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरनई परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्रमांक 5/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अंबिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-लवईडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.122 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
596/8	0.234
430	0.129
550/79	0.081
133	0.202
467	0.081
469	0.081
428	0.040
427/13	0.809
427/3	0.466
550/45	0.182
466/3	0.235
466/7	0.178
425	0.154
331	0.073
550/52	0.049
466/18	0.967
596/9	0.344
466/8	0.202
429	0.139
228	0.125
591/21	0.302
466/14	0.567
431	0.150
479	0.312
योग	6.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा परियोजना के फुलटैंक लेबिल के अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अंबिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-लवईडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.087 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
337	0.049
240/3	0.044
247	0.012
591/19	1.069
591/26	0.162
249/1	0.065
336	0.032
250	0.117
240/1	0.043
550/82	0.510
249/2	0.101
384	0.368
334	0.182
263	0.101
338	0.069
591/20	0.607
335	0.032
388	0.089
381	0.093
240/4	0.043
426	0.089
389	0.097
386	0.113
योग	4.087

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्याम घुनघुट्टा मध्यम परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्रमांक 8/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अंबिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-दरिमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.172 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
252	0.065
336	0.052
348	0.030
360	0.021
368	0.048
373	0.026
414	0.096
803/20	0.022
847	0.087
845/2	0.019
917	0.038
930	0.172
253/1	0.015
337	0.021
349	0.118
363	0.042
353	0.008
375	0.043
413	0.010
803/30	0.020
850	0.030
849/2	0.024
918	0.049
931	0.020
330	0.042
338	0.028
357	0.014
366	0.008
356	0.008
410/1	0.033
439/1	0.015
803/35	0.015

(1)	(2)
	0.070
848	0.020
912	0.082
922	0.072
935	0.051
842	0.018
358	0.013
919	0.016
364/2	0.010
369	0.037
410/2	0.065
439/2	0.016
803/38	0.008
851	0.030
367/1	0.018
374	0.016
410/3	0.013
439/3	0.025
846	0.033
849/1	0.010
916	0.016
929	0.012
440	0.060
	0.012
योग	2.172

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरनई परियोजना के दरिमा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्रमांक 10/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अंबिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-अड़ची
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.909 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	0.210
186/823/19	0.202
186/823/7	0.162
186/823/29	0.056
186/799	0.121
	0.158
योग	0.909

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा परियोजना के फुलटैंक लेबिल के अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्रमांक 11/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अंबिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-नवानगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.132 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4/2	
11	0.016
85/1	0.413
84	0.120
76/2	0.073
61/1	0.020
75/92	0.214
20/5	0.182
18/1	0.007
13	0.209
85/3	0.376
85/2	0.213
57/1	0.032
61/4	0.215
88	0.117
20/3	0.007
20/1	0.020
85/4	0.109
24/3	0.330
85/5	0.190
60/2	0.131
78/1	0.040
36/2	0.150
20/4	0.007
10/2	0.065
24/2	0.335
24/4	0.335
60/1	0.132
76/1	0.020
83/1	0.790
87	0.085
10/1	0.101
योग	5.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा परियोजना के फुलटैंक लेबिल के अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्रमांक 12/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अंबिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-करेया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.994 हेक्टेयर

130/5	0.4[illegible]
136/20	0.081
215/22	0.081
215/12	0.202
761/38	0.162
95/2	0.242
215/26	0.182
136/42	0.040
214/10	0.425
136/32	0.242
215/31	0.081
215/17	0.202
707/34	0.668
96/2	0.458
761/32	0.405
707/19	0.081
215/15	0.182
136/40	0.202
707/33	0.405
215/35	0.324
215/6	0.121
761/31	0.526
218/9	0.036
13	

(1)	(2)
848	0.070
912	0.020
922	0.082
935	0.072
842	0.051
358	0.018
919	0.013
364/2	0.016
369	0.010
410/2	0.037
439/2	0.065
803/38	0.016
851	0.008
913	0.030
924	0.110
331	0.012
335	0.026
341	0.072
359	0.018
367/1	0.016
374	0.013
410/3	0.025
439/3	0.033
846	0.010
849/1	0.016
916	0.012
929	0.060
440	0.012
योग	2.172

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरनई परियोजना के दरिमा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्रमांक 10/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अंबिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-अड़ची

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.909 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
186/823/19	0.210
186/823/7	0.202
186/823/29	0.162
186/823/30	0.056
186/823/31	0.121
186/799	0.158
योग	0.909

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा परियोजना के फुलटैंक लेबिल के अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्रमांक 11/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अंबिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-नवानगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.132 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/2	0.016
11	0.413
85/1	0.120
84	0.073
76/2	0.020
61/1	0.214
75/92	0.182
20/5	0.007
18/1	0.209
13	0.376
85/3	0.213
85/2	0.032
57/1	0.078
61/4	0.215
88	0.117
20/3	0.007
20/1	0.020
85/4	0.109
24/3	0.330
85/5	0.190
60/2	0.131
78/1	0.040
36/2	0.150
20/4	0.007
10/2	0.065
24/2	0.335
24/4	0.335
60/1	0.132
76/1	0.020
83/1	0.790
87	0.085
10/1	0.101
योग	5.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा परियोजना के फुलटैंक लेबिल के अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्रमांक 12/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अंबिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-करेया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.994 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
130/5	0.223
136/20	0.465
215/22	0.081
215/12	0.081
761/38	0.202
95/2	0.162
215/26	0.242
136/42	0.182
214/10	0.040
136/32	0.425
215/31	0.242
215/17	0.081
707/34	0.202
96/2	0.668
761/32	0.458
707/19	0.405
215/15	0.081
136/40	0.182
707/33	0.202
215/35	0.405
215/6	0.324
761/31	0.121
218/9	0.526
13	0.036

(1)	(2)
215/24	0.243
214/11	0.101
214/12	0.081
214/36	0.242
218/10	0.445
761/29	0.579
707/14	0.121
136/19	0.026
707/35	0.202
215/10	0.081
214/18	0.101
707/31	0.202
761/15	0.129
215/16	0.081
707/26	0.324
योग	8.994

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 दिसम्बर 2002

क्रमांक 13/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अंबिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सकालो एवं सरगंवां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.031 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम सकालो	
83	0.052
104/2	0.182
योग	0.234
ग्राम सरगंवां	
257/1	0.008
262/3	0.045
263	0.339
262/7	0.405
योग	0.797
महायोग	1.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकालो तालाब के बांध लाइन डूबान क्षेत्र एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2003

क्रमांक/36/अ-82/2001-2002/भू.अ./2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पौता, प. ह. नं. 140
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-138.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.07
4	2.64
5	0.27
6	0.22
7	0.11
13	0.03
14	0.03
15	0.13
16	0.53
17	0.47
18	0.14
19	0.18
20	0.72
21	1.11
22	0.27
23	0.16
25	0.72
26	0.17
27	0.18
28	0.23
29	0.13
30	0.29
31	0.11
32	0.20
33	1.93
34	0.38
35	0.10
36	0.07
37	0.08
38	0.21
39	0.09
40	0.27
41	0.12
42	0.46
43	0.29
44	0.22
45	0.22
46	0.22
47	0.05
48	0.19
49	0.96
50	0.25
51	0.16
52	0.44
53	0.12
54	0.39
55	0.82
56	0.38
57	0.10
59	0.93
60	0.59
61	0.06
62	0.48
64	0.70
86	0.03
89	0.50
90	0.05
91	0.12
92	0.09
93	0.14

(1)	(2)	(1)	(2)
94	0.11	166	0.48
95	0.03	415	0.08
96	0.28	439	0.01
97	0.20	440	0.06
98	0.13	444	0.79
99	0.13	445	0.13
100	0.05	446	0.18
115	0.30	448	0.41
116	2.96	449	0.38
117	0.25	450	0.78
119	0.85	451	0.30
123	0.13	452	0.27
124	3.24	453	0.14
125	1.58	454	0.53
126	0.57	455	0.33
127	0.32	456	0.17
128	1.12	457	0.17
129	0.31	458	0.35
130	0.26	459	0.17
131	0.29	460	1.67
132	0.22	463/2	0.12
133	0.29	464	1.31
135	0.12	465	1.34
140	0.68	468	0.03
142	2.18	469	0.05
146	1.17	470	0.22
147	0.23	471	0.06
148	1.01	473	0.10
149	1.31	478	0.03
150	0.32	479	0.12
151	0.85	480	0.11
152	0.09	481	0.12
153	0.20	482	0.10
154	0.13	484	0.10
155	0.20	485	0.07
156	0.15	486	0.13
157	0.14	487	0.15
158	2.02	488	0.24
159	0.25	489	0.29
161	0.48	490/1	0.36
163	0.08	490/2	0.40
164	0.06	491	0.50

(1)	(2)	(1)	(2)
492	0.57	536	0.04
493	0.28	537	0.05
494	0.24	538	0.09
495	0.27	539	0.02
496	2.77	540	0.18
497	0.39	541	0.06
498	0.10	542	0.03
499	0.42	543	0.03
500	0.12	544	0.02
501	0.10	545	0.15
502	0.53	546	0.21
503	0.17	547	0.10
504	0.08	548	0.03
505	0.62	549	0.15
506	0.18	550	0.21
507	0.02	552	0.15
508	0.05	554	0.05
509	0.07	555	0.09
510	0.11	556	0.03
511	0.07	557	0.04
512	0.50	558	0.02
513	0.38	560	0.02
514	0.05	561	0.02
515	0.20	563	0.12
516	0.25	564	0.08
517	0.12	565	0.04
518	0.10	566	0.06
519	0.15	568	0.01
520	0.07	570	0.09
521	0.10	571	0.15
522	0.07	572	0.03
523	0.07	573	0.03
524	0:15	575	0.03
527	0.28	576	0.01
528	0.05	577	0.01
529	0.02	578	0.01
530	0.06	579	0.23
531	0.06	580	0.10
532	0.03	581	0.04
533	0.02	583	0.05
534	0.13	584	0.02
535	0.16	585	0.02
		586	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
587	0.02	649	1.35
588	0.05	650	1.35
592	0.02	651	0.29
593	0.02	652	0.51
595	0.10	654	1.25
597	0.07	660	0.44
598	0.05	661	0.40
599	0.06	662	0.39
600	0.09	663	0.40
601	0.05	667	0.57
602	0.08	668	0.72
603	0.07	673	1.50
605	0.04	674	1.58
606	0.16	675	0.85
608	3.69	679	0.26
609	0.07	680	2.62
610	0.13	687	0.15
612	0.59	688	0.17
615	0.54	689	0.14
616	0.31	690	0.07
622	0.56	702	0.04
623	2.70	704	0.03
624	1.18	705	0.04
625/1	1.09	706	0.04
625/2	1.09	707	0.04
626	0.30	708	0.11
627	3.66	709	0.10
628	0.49	710	0.08
631	7.07	711	0.05
633	0.12	712	0.10
634	3.51	713/1	0.34
635	0.29	713/2	0.05
636	0.53	714	0.10
639	1.37	715	0.39
640	0.75	716	0.04
641	0.05	717	0.03
642	0.11	719	0.08
643	0.37	720	0.31
644	0.03	721	0.06
645	0.05	722	0.05
646	0.16	723	0.08
647	0.09	724	0.02
648	0.16		

(1)	(2)
730	0.08
731	0.07
732	0.09
733	0.04
734	0.07
735	0.03
736	0.04
737	0.11
738	0.05
739	0.09
740	0.09
741	0.12
743	0.05
744	0.05
745	0.08
747	0.03
748	0.04
749	0.02
751	0.07
752	0.05
753	0.07
754	0.02
756	0.30
757	0.32
758	0.40
759	0.07
760	0.08
762	0.37
764	0.54
765	1.38
766	0.64
767	0.77
770	0.29
772	0.20
773	0.31
774	0.08
775	0.23
776	0.27
777	0.20
778	0.38
780	0.08
784	0.23
785	0.15
786	0.19
787	0.19
788	2.01
790	0.37
791	0.17
792	0.21
793	0.31
794	0.41
795	0.28
805	0.25
807	0.32
808	1.75
809/2	0.32
810/1	0.46
811/2	0.36
639/822	0.05
योग 373	138.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2003

क्रमांक/37/अ-82/2001-2002/भू.अ./2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-अभनपुर

(ग) नगर/ग्राम-बंजरी, प. ह. नं. 141/22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-190.94 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	48	0.29
		49	0.14
3	1.95	50	0.14
5	0.03	51	0.32
6	0.23	52	0.80
7	0.16	54	0.20
9	0.12	55	1.17
10	0.34	56	0.53
11	0.46	57/1	0.44
12	0.46	57/2	0.44
13	0.46	58	0.11
14	0.80	59	0.34
15	0.80	60	0.29
16	0.20	61	1.58
17	0.20	62/1	1.54
18	0.20	62/2	1.44
19	0.21	62/3	1.45
20	1.21	63	0.20
21	0.61	64	0.72
22	0.06	65/1	0.14
23	1.81	65/2	0.14
24	0.41	65/3	0.13
25	0.18	67	1.56
26	0.09	68	1.66
27	0.21	69	1.79
28	0.21	70/1	0.12
29	0.85	70/2	0.06
30	1.78	70/3	0.05
32	0.42	70/4	0.06
33	0.96	70/5	0.05
34	0.61	70/6	0.06
35	0.60	71	0.35
36	0.41	72	0.12
37	0.80	73	0.21
40	0.82	74	0.54
41	1.01	75	0.42
42	0.70	76	0.17
43	1.17	77/1	0.25
44	0.30	77/2	0.10
45	0.70	77/3	0.38
46	0.41	77/4	0.06
47	0.14	77/5	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
77/6	0.34	165	0.47
77/7	0.10	166	0.74
77/8	0.10	167	0.72
78	0.41	168	1.27
79	0.23	169	1.23
80	0.63	170	0.30
82	0.40	171	0.15
85	0.32	172	0.15
86	0.22	173	0.84
87	0.45	174	0.35
88/1	3.14	175	0.09
88/2	1.27	176	0.44
89	0.32	177	0.36
91	1.19	179	0.26
92	1.07	180	0.97
93	0.18	181	0.14
94	0.34	182	0.32
95	0.21	183	0.31
96	0.15	184	1.80
97	0.03	185	0.51
105	0.22	186	1.21
145	1.06	187	4.22
146	0.83	189/1	0.50
147	0.09	189/2	0.50
148	0.20	189/3	0.40
149	0.44	190	1.49
150/1	0.12	191	1.36
150/2	0.50	192	0.28
150/3	0.40	193	0.20
151	0.61	194	3.72
152	0.42	195	1.36
153	0.42	196	1.41
154	0.40	197	1.21
155	0.33	198/1	2.46
156	0.44	198/2	1.01
157	2.83	199	2.46
158	0.06	202	0.66
160	0.15	204	0.69
161	1.22	206	1.78
162	0.22	207	1.62
163	0.50	208	0.40
164	0.52	209	1.00

(1)	(2)	(1)	(2)
210	0.02	330	2.06
219	0.10	331	0.54
220	0.13	332	0.19
260	0.02	333	0.19
262	1.46	334	0.12
263	0.10	335	0.44
291	0.04	336	1.79
294	0.62	337	0.52
295	0.31	338	0.76
296	0.54	339	1.04
298	0.25	340	0.09
299	0.87	341	0.15
300	0.35	342	0.15
301	0.20	343	0.55
302	0.23	344	0.22
303	0.08	345	0.23
304	0.13	346	1.15
305	0.46	348	0.77
306	0.07	349	0.30
307	0.26	350	0.65
308	3.00	351	0.40
309	0.20	352	0.34
310	3.26	353	0.24
311	0.41	354	0.25
312	0.21	355	0.26
313	0.53	356	0.25
314	0.81	357	0.25
315	0.65	358	0.56
316	0.65	359	0.09
317	0.45	360	0.23
318	1.02	361	0.71
319	0.31	362	3.43
320	0.15	363	0.22
321	0.53	364	0.41
322	0.51	365	0.26
323	0.46	366	0.22
324	0.56	367	0.19
325	1.47	368	0.20
326	0.14	369	0.15
327	0.16	370	0.15
328	0.10	371	0.15
329	0.32	372	0.30

(1)	(2)
373	0.30
374	0.78
375	1.00
376	0.41
377	0.40
378	0.40
379	0.43
380	0.43
381	1.02
382	1.03
383	1.03
384	1.00
385	1.57
386	0.16
387	0.16
388	0.07
389	0.08
390	0.94
391/1	0.57
391/2	0.06
392	0.15
393	0.15
394	0.99
395	0.61
396	0.50
397	0.61
398	0.91
399	0.71
400	0.64
403	0.85
404	1.60
405	0.29
406	0.29
407	0.27
408	0.27
409	0.46
410	0.48
411	0.49
412	0.08
413	0.08
414	0.04
415	0.04
416	0.17
417	0.31
418	0.34
419	0.12
420	0.12
421	0.53
422	1.35
423	0.92
424	0.61
425	1.63
426	0.84
427	1.48
428	0.61
429	1.02
430	1.02
431	0.15
432	1.10
434	0.08
435	0.31
436	0.07
437	0.16
439	0.30
440	0.22
441	0.27
442	0.35
443	0.07
444	0.38
445	0.06
447	0.08
448	0.29
449	0.29
450	0.39
451	0.20
452	0.23
453	0.03
455	0.73
445/591	0.20
444/592	0.06
योग 330	190.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2003

क्रमांक /40/अ-82/2001-2002/भू.अ./2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-अभनपुर

(ग) नगर/ग्राम-चेरिया, प. ह. नं. 141/22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.09
2	0.14
3	0.02
4	0.23
5	0.12
6/1	0.24
6/2	0.24
7	0.61
9	0.48
11	0.38
18	0.06
20	0.32
22	0.40
25	0.55
27	0.57
28	0.45
29	0.53
30	0.58
31	0.34
32	0.10
33	0.07
34	0.64
35	0.03
36	0.08
37	0.05
38	0.16
39	0.13
40	0.34
41	0.11
42	0.05
43	0.07
44	0.23
45	0.05
46	0.04
47	0.04
48	0.05
49	0.56
50	0.16
51	0.15
52	0.15
53	0.52
54	0.78
55	0.23
61	0.50
62	0.32
64	0.28
65	0.66
66	0.12
67	0.04
68	0.19
69	0.20
70	0.05
171	0.55
173	0.36
174	1.43
175	0.07
176	0.10
177	0.80
178	1.96
179	0.60
180	0.51
181	0.01
81/1022	0.06
योग 63	19.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कांकेर (छ. ग.)

कांकेर, दिनांक 4 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/खनिज/2002/953.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनि रियायत नियमावली, 1960 के नियम 59 के अंतर्गत नींचे लिखे सूची में दर्शाया गया क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिन के पश्चात् लौह आयस्क मुख्य खनिज के आवंटन हेतु उपलब्ध रहेगा.

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	प. ह. नं. (3)	तहसील (4)	खसरा नंबर (5)	रकबा (6)	अन्य विवरण (7)
1.	आरीडोंगरी	वनभूमि	भानुप्रतापपुर	139 आर. एफ.	921.06 हे.	वन भूमि खनि पट्टा अवधि समाप्त होने के पश्चात् वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने की शर्त पर खुला घोषित किया जा रहा है.

एस. एन. ध्रुव,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2002

क्रमांक क/3293/खनि./खा. पट्टा/1/98.—जिला बिलासपुर की तहसील तखतपुर के ग्राम चिचिरदा के खसरा नंबर 601 पर नवकरण हेतु आवेदित खनि पट्टा खनिज डोलोमाईट के निरस्त हो जाने के कारण खनि रियायत नियमावली, 1960 के नियम 59 के अनुसार निम्नांकित क्षेत्र को पुनः अनुदानार्थ खुला घोषित किया जाता है.

खुला घोषित किये जाने वाले क्षेत्र के विवरण हेतु अनुसूची निम्नांकित है :—

अनुसूची

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	प.ह.नं. (4)	ग्राम (5)	खसरा नंबर (6)	रकबा (7)	रिमार्क (8)
1.	बिलासपुर	तखतपुर	24	चिचिरदा	601	20.00 एकड़	खनिज डोलोमाईट का खनि पट्टा नवकरण आवेदन निरस्त होने के कारण अनुदानार्थ क्षेत्र खुला घोषित करने बाबत.

कृपया अनुसूची में उल्लेखित क्षेत्र के इस विज्ञप्ति को राज्य शासन के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् उक्त क्षेत्र खनि रियायत हेतु उपलब्ध होगा.

आर. पी. मंडल,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 11th December 2002

No. 6431/I-7-3/2002 (pt. I).—It is hereby notified that the following is the List of Vacations/Holidays for the Court subordinate to the High Courts, of Chhattisgarh during the year 2003 :—

S. No. (1)	Name of Holidays (2)	Dates as per the Gregorian Calendar (3)	Days of the week (4)
1.	New Year's Day	01-01-2003	WEDNESDAY
2.	Id-Ul-Zuha	12-02-2003	WEDNESDAY
3.	Mahashivratri	01-03-2003	SATURDAY
4.	Moharram	14-03-2003	FRIDAY
5.	Holi Holidays	18-03-2003 and 19-03-2003	TUESDAY and WEDNESDAY

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Ram Navami	11-04-2003	FRIDAY
7.	Mahavir Jayanti	15-04-2003	TUESDAY
8.	Good Friday	18-04-2003	FRIDAY
9.	Milad-Un-Nabi	15-05-2003	THURSDAY
10.	Budha Purnima	16-05-2003	FRIDAY
11.	Raksha Bandhan	12-08-2003	TUESDAY
12.	Independence Day	15-08-2003	FRIDAY
13.	Janmashtami	20-08-2003	WEDNESDAY
14.	Pitramoksha Amavasya	25-09-2003	THURSDAY
15.	Gandhi Jayanti	02-10-2003	THURSDAY
16.	Deepawali	25-10-2003	SATURDAY
17.	Id-Ul-Fitr	26-11-2003	WEDNESDAY
18.	Christmas	25-12-2003	THURSDAY

Notes :—

1. The Subordinate Courts shall remain closed on all Sundays and shall also remain closed on Second Saturdays falling on :—

   11th January, 2003, 8th February, 2003, 8th March, 2003, 12th April, 2003, 10th May, 2003, 14th June, 2003, 12th July, 2003, 9th August, 2003, 13th September, 2003, 11th October, 2003, 8th November, 2003 and 13th December, 2003.

2. Republic day dated 26-1-2003, Ganesh Chaturthi dated 31-8-2003 and Vijayadashmi dated 5-10-2003 fall on Sundays and Gurunanak Jayanti dated 8-11-2003 falls on second Saturday, therefore, they are not declared holidays separately.

3. The Subordinate Courts shall observe the holidays declared by Central/State Government on account of sad demise of the President of India or the Prime Minister of India dying in harness.

4. Id-Ul-Zuha, Moharram, Milad-Un-Nabi and Id-Ul-Fitr which fall on 12th February, 14th March, 15th May and 26th November respectively are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the Government declare any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

5. The Subordinate Courts shall not observe any local holiday as may be declared by the Local Authorities or any other holidays as may be declared by the State Government from time to time unless the High Court directs them to observe those holidays.

6. The Subordinate Courts shall remain closed from 19-5-2003 to 13-6-2003 on account of Summer Vacation but each Judge shall be entitled to avoil of vacation for a maximum period of 15 days only.

7. The Calendar for the Courts subordinate to this High Court has been prepared in accordance with the direction given by the Hon'ble the Supreme Court in the case of All India Judges Association Vs. Union of India. with regard to Holidays and Vacations of the Subordinate Courts in the light of recommendations of FNJPC (Shetty Commission).

By order of the High Court.
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2002

क्रमांक 150/दो-2-33/2002.—श्री डी. के. दामले, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग दिनांक 30-9-2002 को अपरान्ह में अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उन्हें उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 120 दिवस (एक सौ बीस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आज्ञानुसार,
सी. एस. पारे, एडीशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन).

बिलासपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2002

क्रमांक 6151/तीन-22-2/2000.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक बी/9078/तीन-10-42/75, राजनांदगांव-डोंगरगढ़, दिनांक 9-10-1998 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, डोंगरगढ़ की श्रृंखला न्यायालय राजनांदगांव से है को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 30th November, 2002

No. 6151/III-22-2/2000.—The Notification No. B/9078/III-10-42/75, Rajnandgaon-Dongrgarh, dated 9-10-1998, issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur so far as it relates to holding Link Court of Civil Judge, Class-I, Dongargarh at Rajnandgaon is hereby cancelled with immediate effect.

By order of the High Court,
A. K. PANDA, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2002

क्रमांक 6097/दो-2-78/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 7-11-2002 से दिनांक 8-11-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1-11-2002 से 6-11-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 9-11-2002 एवं 10-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शकुन्तला दास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शकुन्तला दास उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार.